दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway
यांत्रिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर
Mechanical Department, Divisional Railway Manager office, Bilaspur

No. SBF/ कर्मचारी कैंटीन /Open Tender/01 दिनांक: 23.06.2025

अधिसूचना

कोचिंग डिपो बिलासपुर के कार्यालय परिसर में स्थित रेलवे कर्मचारी कैन्टीन का संचालन निर्धारित नियमो / शर्तों के तहत दो वर्षों की अवधि के लिए खुली निविदा के माध्यम से करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता हैं।

1. निविदा प्रपत्र दिनाँक 25.06.2025 से 30.06.2025 तक कार्य दिवस में समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक निविदा अनुभाग, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अधिकारी/ बिलासपुर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें द.पू.म.रेलवे के वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in के Dept./Div of SECR-Bilaspur Division-Mechanical-Notification पर भी उपलब्ध रहेगा।

2. निविदा प्रपत्र दिनाँक 25.06.2025 से 07.07.2025 तक कार्य दिवस में समय 11.00 बजे से 16.30 बजे तक निविदा अनुभाग, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अधिकारी/ बिलासपुर के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

3. 07.07.2025 के 12:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनाँक 07.07.2025 के 16.00 बजे उपर वर्णित कार्यालय में खोले जायेंगे।

24.06.25

वरिष्ठ कोचिंग डिपो अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

निविदा अनुसूची एवं विशेष शर्ते

No. SBF/ कर्मचारी कैंटीन /Open Tender/01 दिनांक: 23-06-2025

अमानती राशि (Earnest Money):- रुपये 10,000/- (दस हजार मात्र) बिना अमानती राशि के निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा |

कार्य का विवरण	मानक दर	अनुलग्न - A में मलग्र मानक दर हेतु विभागीय स्वीकृत मूल्य सूची के सरल क्रमांक 01 में 29 तक प्रस्तावित दरों के कुल जोड (Total)
कोचिंग डिपो बिलासपुर के कार्यालय परिसर में स्थित रेलवे कर्मचारी कैन्टीन का संचालन खुली निविदा के माध्यम से 02 वर्षों की अवधि के लिए है। करने बावत	मानक विभागीय अनुलग्न दर हेतु सूची में सलग्न	

नोट:-

1. निविदाकर्ता को चाहिए कि केवल इस शीट (अनुलग्न-A)के निर्धारित स्थान पर ही प्रत्येक वस्तु के लिए एकल दर का उल्लेख करें। एकल दर पूर्णांक में होना चाहिए। 50 (पचास) पैसे तथा ऊपर के गुणक को अगले पूर्ण रूपये में दर्शाया जाए तथा इससे नीचे के गुणक पिछले पूर्ण रुपये में दर्शाया जाए।

2. निविदाकर्ता द्वारा अनुलग्न में सलग्न मानक दर हेतु विभागीय स्वीकृत मूल्य सूची के सरल क्रमांक 01 से 29 तक प्रस्तावित दरों के कुल जोड (Total) के आधार पर ही निविदा का निर्णय किया जाएगा।

3. निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ में उल्लेखित शर्तों के अनुसार (जैसे: कैंटीन संचालन हेतु प्राईवेट ठेकेदार को कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव का प्रमाण पत्र एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत बर्तमान वैधता (Valid) पंजीकरण का प्रमाण पत्र) को संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।

4. आवेदन पत्र पर दरों का उल्लेख अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा जाए किसी विसंगति के मामले में शब्दों में उल्लेखित दर को प्रस्तावित दर के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

5. प्रस्तावित दर में संशोधन वर्जित है इसमे किसी प्रकार की काट-छॉट न की जावे अपरिहार्य परिस्थिति में की गई त्रुटि संशोधित रूप में पुनः दर्शायी जा सकती है, जिसे हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा।

6. निविदाकर्ताओं के शर्तों (Conditional Offers) के साथ संलग्र निविदाओ को रद्द किया जा सकता है।

7. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिये।

24.06.25

वरिष्ठ कोचिंग डिपो अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे /बिलासपुर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम
फोटोग्राफ

क्रमांक	विषय वस्तु	विवरण
1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	पत्र व्यवहार का पता	
4	वर्तमान में व्यवसाय	
5	शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित खाया प्रति संलग्न करें)	
6	कैन्टीन संचालन हेतु कार्य अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति सलग्र करें)	
7	यदि पूर्व में रेलवे में कार्य किया हो तो उसका विवरण दे कि * कहाँ पर कार्य किया है। प्रमाण पत्र की स्व- हत्ताक्षरित छाया प्रति सलग्र करें)	
8	कोई आपराधिक प्रकरण लंबित / विचारधीन तो नहींए यदि है तो उनका विवरण दें।	
9	पैन नंबर (छाया प्रति सलग्न करें)	
10	मोबाइल नंबर	
11	आधार नंबर (स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति सलग्न करें)	
12	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकरण का विवरणः जारीकर्ता एवं तारीखः वैधता की तारीखः (प्रमाण पत्र की स्व- हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
	मै नमिति द्वारा सूचीबद्ध मदों की मूल्य सूची / प्रस्तावित दर संलग्न कर रहा है।	

दिनांकः
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम :
मोबाईल नंबर :

गवाह के हस्ताक्षर

नाम व पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर

[signature] 27.06.2019

वरिष्ठ मंडल कोचिंग डिपो अधिकारी
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / बिलासपुर

वर्तमान स्वीकृत मूल्य सूची की दरें (अनुलग्न-A)

क्रमांक	सामग्री	भोजन के प्रकार	मात्रा/नग	वर्तमान दर (रुपये में) समस्त कर सहित	ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर समस्त कर सहित
	भोजन थाली (एक दाम)				
1	चावल	लंच	100 ग्राम	45/-	
	रोटी		4 नग		
	दाल		100 ग्राम		
	सब्जी-02 प्रकार की		75 ग्राम प्रति सब्जी		
	अचार		10 ग्राम		
	सलाद		50 ग्राम		
	पापड़		1 नग		
2	पूरी-सब्जी	नाश्ता	5 नग पूरी एवं 100 ग्राम सब्जी	25/-	
3	अंडा करी	लंच	1 अंडा, 2 अंडा	15/- 30/-	
4	ऑमलेट	लंच	2 अंडा	20/-	
5	अंडा भूजी	लंच	2 अंडा	20/	
6	ब्रेड- आमलेट	नाश्ता	2 ब्रेड 1 अंडा	20/-	
7	मसाला डोसा, सांभर, चटनी	नाश्ता	1 नग	25/-	
8	सादा डोसा, सांभर, चटनी	नाश्ता	1 नग	20/-	
9	मसाला उपमा	नाश्ता	150 ग्राम	20/-	
10	इडली- प्लेट	नाश्ता	3 नग प्रति नग 75 ग्राम	20/-	
11	सांभर बड़ा	नाश्ता	2 नग प्रति नग 100 ग्राम	20/-	
12	उत्तपम	नाश्ता	1 नग	20/	
13	मूंग बड़ा	अल्पाहार	2 नग प्रति 100 ग्राम	20/-	
14	उड़द बड़ा	अल्पाहार	2 नग प्रति नग 100 ग्राम	20/-	
15.	कटलेट/समोसा/आलू गुंडा	अल्पाहार	2 नग प्रति नग 50 ग्राम	20/-	
16.	साबुदाना बड़ा	अल्पाहार	2 नग प्रति नग 50 ग्राम	20/-	
17.	साबुदाना खिचड़ी	नाश्ता	200 ग्राम	30/-	
18	ढोकला	अल्पाहार	2 नग (75 ग्राम)	20/-	
19	सलौनी	अल्पाहार	100 ग्राम	20/-	
20	ब्रेड-सैंडविच	नाश्ता	आलू मसाला के साथ 1 जोड़ा ब्रेड	20/-	
21	पोहा मटर	नाश्ता	150 ग्राम	20/-	

क्रमांक	सामग्री	भोजन के प्रकार	मात्रा/नग	वर्तमान दर (रुपये में) समस्त कर सहित	ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर समस्त कर सहित
22	बालूशाही	मिठाई	1 नग 50 ग्राम	8/	
23	बूंदी लड्डू	मिठाई	1 नग 50 ग्राम	8/-	
24	गुलाब जामुन	मिठाई	1 नग 30 ग्राम	8/-	
25	रसगुल्ला	मिठाई	1 नग 30 ग्राम	8/-	
26	बिस्कुट	अल्पाहार	पैकेट बंद	एमपी	
27	चाय		75 एमएल	5/-	
28	मसाला चाय		75 एमएल	10/-	
29	कॉफी		100 एमएल	10/	
30	दूध		100 एमएल	10/	
31	पानी बोतल	पेय पदार्थ	1 लीटर	15/- या MRP, जो भी कम हो पानी की बिक्री रेल नीर या रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रांड होना चाहिए।	
32	फ्रूट जूस		पैकेट बंद	एमआरपी	
33	लस्सी/दही/छांछ		पैकेट बंद	एमआरपी	
34	कोल्ड ड्रिंक		पैकेट बंद	एमआरपी	
35	अमूल कूल		पैकेट बंद	एमआरपी	
36	आइसक्रीम, इत्यादि	विविध	पैकेट बंद	एमआरपी	

वरिष्ठ कोचिंग डिपो अधिकारी,
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर।

कैन्टीन संचालन हेतु नियमावली एवं विशेष शर्ते

1. कैंटीन का संचालन लगभग 600 कर्मचारी / आगतुकों के लिये होगा।
2. कैंटीन संचालन का कार्यकाल दो वर्ष (Two years) का होगा। आवश्यकता अनुसार इसे शर्तों के आधार पर कोटेशन को आगामी एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
3. कैंटीन संचालन में खान–पान की दरें एवं मात्रा समिति तय करेगी। कैंटीन में बेचे जाने वाले हर खाद्य सामग्री की उत्कृष्ट गुणवत्ता की जांच, कच्चे माल से लेकर कोई भी खाद्य सामग्री तक संचालन समिति करेंगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता जिसे समिति द्वारा उजागर किया जाता हैं फर्म के द्वारा तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। अन्यथा अनिवार्य टोकन पेनाल्टी समिति द्वारा जारी की सकती है। फर्म द्वारा किसी अनुदेश के अवहेलना पर विशेषतः खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता गुणवत्ता पर ध्यान न देने पर समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेका को निरस्त कर सकती है एवं धरोहर राशि को जप्त किया जायेगा।
4. कैटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री का मीनू समिति तय करेगी। मेन्यू एवं दर अनुलग्रक A के रूप मे संलग्र है। परन्तु अंतिम दर निविदा द्वारा तय की जाएगी। कैटीन संचालक द्वारा संलग्न मेनू में दिए गए सूची से कम से कम तीन प्रकार के आइटम नाश्ता, लंच, अल्पाहार एंव मिठाई में रखना अनिवार्य होगा।
5. कैंटीन संचालन हेतु प्राईवेट ठेकेदार को कम से कम पांच वर्षो का अनुभव का उचित प्रमाण पत्र निविदा के समय होना चाहिए।
6. आवेदन पत्र के साथ अमानती राशि रू. 10000/- (दस हजार) मात्र धनादेश (चेक) के रूप में वित्त सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी (FA&CAO) द.पू.मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम पर देय होगा। जिसे निरस्त अमान्य आवेदकों को निविदा के पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जायेगा।
7. चयन किये गये आवेदन पत्र के आवेदन को कैंटीन संचालन हेतु धरोहर राशि सुरक्षा निधी (सिक्युरिटी) रू. 50000/- पचास हजार मात्र धनादेश के रूप मे वित्त सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी (FA&CAO) द.पू.मध्य रेलवे बिलासपुर के नाम पर देय होगा/जमा करानी होगी।
8. प्राईवेट ठेकेदार को कैटीन की साफ–सफाई, बैठने की व्यवस्था खाने पीने की वस्तुओं की मात्रा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा।
9. कैंटीन में शराब व धूम्रपान वर्जित होगी यदि कोई व्यक्ति कैंटीन में शराब या मादक पदार्थो का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार की होगी। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ठेकदार के उपर जुर्माना लगाया जायेगा जो कि कम से कम रू 5000 होगा तथा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
10. कैटींन में लगे हुए सभी समानों की मरम्मत एवं देखभाल ठेकेदार को करना होगा। निविदा मिलने पर food license जमा करना अनिवार्य होगा।
11. कैटींन में उपलब्ध रेलवे सम्पति की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदार की होगी तथा संबंधित रेलवे सम्पति को कोई नुकसान या चोरी हुआ तो उसकी कीमत प्राइवेट ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
12. कैंटीन से निकला कचरा एवं अवशिष्ट पदार्थ के संपूर्ण निपटारा नियमानुसार करने की जिम्मेदारी प्राईवेट ठेकेदार की होगी।
13. यदि कैंटीन के खाने–पीने की व्यवस्था में किसी प्रकार की विषैली चीज या नशे वाली चीजें मिली तो प्राईवेट ठेकेदार जिम्मेदार होगा तथा इसके लिये प्राईवेट ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
14. प्राईवेट ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैंटीन चलाना होगा और संचालन समिति के निर्णीत बिदुओं के आधार पर ही कैंटीन का संचालन होगा।

24.6.25

15. कैंटिन में कार्यरत कर्मचारियों को कोई संक्रामक बीमारी न हो इसकी सरकारी डाक्टरी द्वारा जांच की रिपोर्ट निविदा मिलने के सात दिनों के भीतर ठेकेदार को कार्यालय में जमा करानी होगी।
16. कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्व कोई अपराधी प्रकरण लंबित न हो इस कारण कैंटीन के कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट टेकेदार द्वारा निविदा मिलने के सात दिनो के भीतर ठेकेदार को कार्यालय में जमा कराना होगी।
17. कैंटीन के कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को साफ–सुथरा यूनिफार्म एवं बैच पहनना जरूरी है। कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म एवं बैज ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
18. यदि दो या अधिक ठेकेदारों की दर एक समान प्रस्तावित करने स्थिति में ठेके का निर्णय संचालन समिति अपने विवेक के आधार पर करेगी।
19. उपरोक्त नियमों मे समय समय पर संशोधन समिति द्वारा किया जा सकेगा। समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार मानने हेतु बाध्य रहेगा।
20. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत यदि स्थानीय निकाय/राज्य/केन्द्र शासन द्वारा अधिघोषित नियमों मे आवश्यक अनुमति/लाईसेंस ठेकेदार द्वारा प्राप्त स्वयं अपने खर्च पर करना होगा। इसके साथ ही एस कार्य हेतु लगाए के कर्मचारीया/श्रमिकों का भुगतान जैसे न्यूनतम वेतन पी.एफ. एवं अन्य देय राशि केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार प्रदान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
21. ठेका निरस्त होने स्थित में उपलब्ध कराये गये समस्त सामानों को यथावत् स्थिति में समिति को वापस करने पर ही धरोहर राशि वापस की जा सकेगी।
22. कैंटीन संचालन के लिये किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय संचालन समिति का होगा।
23. ठेकेदार को 100/- रू के नाम जूडिशियल पेपर पर नियमों शर्तो की सहमति बाबात इकरारनाम देना होगा।
24. विशेष अवसर पर छुटिटयों के दिन जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी कार्यालयीन सभा कोचिंग डिपो, बिलासपुर में आयोजित समारोह रेल सप्ताह अवार्ड एवं प्रशासन के द्वारा घोषित किये गये अवकाश के दिन पूर्व सूचना देने पर कैंटीन को खुला रखना होगा तथा खाद्य सामाग्री भी सभास्थल कार्य स्थल पर उपलब्ध कराना हेागा।
25. कैंटीन संचालन के ठेकेदार को कैंटीन का संचालन स्वयं करना होगा पेटी कांटैक्ट के रूप में दूसरे ठेकेदार में संचालन करवाने से निविदा को रदद् कर दिया जाएगा।
26. Railway Board's General Condition of Contract for Service 2018 and updated with correction slips time to time will be applicable for this work.

24.06.25

वरिष्ठ कोचिंग डिपो अधिकारी,
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर।